... हार के बाद ही जीत है

तीन बार असफल रहे विवेक सैनी ने नहीं मानी हार, यूपीएससी में हासिल की 276वीं रैंक

...क पाने वाले विवेक सिंह सैनी का

माता–पिता व भाई ने बढ़ाया मनोबल : विवेक

विवेक ने बताया कि माता–पिता और छोटे भाई ने हमेशा उनका मनोबल बढ़ाया और उनके प्रोत्साहन से ही इस बार परीक्षा में 276वीं रैंक हासिल की। उन्होंने बताया कि परीक्षा में मिली असफलता से उनका मनोबल नहीं गिरा, बल्कि उन्होंने इससे सीख लेकर कड़ी मेहनत से परीक्षा दी। छोटे भाई दिव्यांशु सैनी आइआइटी कानपुर से पढ़ाई कर रहे हैं। विवेक की सफलता से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। शनिवार को भी दिनभर उनके यहां मित्रों और रिश्तेदारों ने पहुंचकर शुभकामनाएं दीं।

...थी। महानगर के सर्किट हाउस ... बापूजी नगर निवासी एलआइसी में प्रशासनिक अधिकारी भोपाल सिंह सैनी व संगीता [illegible] के पुत्र विवेक सिंह [illegible] ने अपनी 10वीं और 12वीं कक्षा सेंट मेरीज एकेडमी से उत्तीर्ण की थी। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से 2019 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक करने के बाद प्रतियोगी परीक्षा की [illegible] यों में जुट [illegible]। इसी दौरान उनका चयन इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में डिप्टी मैनेजर के लिए हो गया था। यहां लगभग डेढ़ वर्ष तक नौकरी की। नौकरी के दौरान विवेक ने स्वजन की प्रेरणा से यूपीएससी की तैयारी का निर्णय लिया। एक बार विवेक को लगा कि नौकरी और परीक्षा की तैयारी दोनों एक साथ नहीं हो पाएगी। यही सोचकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। दिल्ली में रहकर तैयारी के दौरान कुछ समय कोचिंग भी ली लेकिन स्वयं से तैयारी को प्राथमिकता दी। वह तीन बार परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। लगातार असफलता के बाद भी विवेक ने हिम्मत नहीं हारी और दोगुणा उत्साह से तैयारी में जुट गए। यह उनका दूसरा इंटरव्यू था।

दैनिक जागरण
8-3-2026

...से बिगड़ेगा बजट

...बोलीं– कम किए जाएं दाम

...गैस के दाम की गई बढ़ोतरी अनुचित ...ससे घर का बजट बिगड़ जाएगा। ...इसे वापिस लेना चाहिए।

...नगर

....

...बढ़ने से घर के बजट को नियंत्रित कर ...ल होगा।

...र, सुभाष नगर

....

...बढ़ने से अब घर का बजट फिर से ...। बढ़े दाम वापिस लिए जाने चाहिए।

...ा, शारदा नगर

....

...ण रसोई का बजट बिगड़ जाएगा। अब ...ं कमी करनी पड़ेगी।

...ाश कैंप।

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर

मौहल्ला यादवपुरी, निकट गन्ना भवन, हकीकत नगर, सहारनपुर।
दूरभाष 0132-2720990, ई-मेल, sda12@rediffmail.com

पत्रांक 3284/ स०वि०प्रा०/2025-26 दिनांक 07 मार्च, 2026

सार्वजनिक सूचना

उत्तर प्रदेश योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-11 के अन्तर्गत जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित 31 नये ग्रामों की जी०आई०एस० आधारित सहारनपुर महायोजना-2031 (भाग-ख) को प्राधिकरण की 81वीं बोर्ड बैठक दिनांक 19.01.2026 के एजेण्डा आईटम संख्या 81/7 पर अनुमोदनोपरान्त जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 09.03.2026 से दिनांक 08.04.2026 तक 1-कार्यालय आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर, 2-कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर, 3-कार्यालय जिलाधिकारी, सहारनपुर 4-कार्यालय नगर निगम, सहारनपुर, 5-कार्यालय उपजिलाधिकारी (सदर), सहारनपुर, 6-कार्यालय उपजिलाधिकारी (नकुड), सहारनपुर, 7-कार्यालय उपजिलाधिकारी (रामपुर), सहारनपुर के कार्यालयों में तथा सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर की वेबसाईट www.sdasaharanpur.org पर मानचित्र एवं प्रतिवेदन उपलब्ध है।

समस्त जनसामान्य/मा० जनप्रतिनिधिगण/शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/स्थानीय निकाय व अन्य समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्धारित अवधि में सहारनपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित 31 नये ग्रामों की जी०आई०एस० आधारित सहारनपुर महायोजना-2031 (भाग-ख) के प्रारूप का अवलोकन कर अपने बहुमूल्य सुझाव/आपत्ति को उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को सम्बोधित करते हुए (चार प्रतियों में) सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर में दिनांक 09.03.2026 से 08.04.2026 तक की अवधि में किसी भी कार्य दिवस में अथवा प्राधिकरण की ई-मेल sda12@rediffmail.com पर उपलब्ध करा सकते है। निर्धारित अवधि के पश्चात किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों / सुझावों की सुनवाई शासन द्वारा गठित समिति के द्वारा की जायेगी। इसके उपरान्त सहारनपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित 31 नये ग्रामों की जी०आई०एस० आधारित सहारनपुर महायोजना-2031 (भाग-ख) के प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

सचिव
सहारनपुर विकास प्राधिकरण सहारनपुर।

उपाध्यक्ष
सहारनपुर विकास प्राधिकरण सहारनपुर।

...बैंक Indian Overseas Bank

क्षेत्रीय कार्यालयः भवन सं0 80, प्रथम तल, मंगल पाण्डेय नगर, निकट बीएसएनएल कार्यालय, तेज गढ़ी चौराहा, मेरठ– 250005

सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत मेगा ई–नीलामी दिनांक 27.03.2026

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

...न अधिनियम, 2002 (नं. 54/2002) के अन्तर्गत बैंक को प्रभारित अचल सम्पत्तियों की बिक्री। जबकि इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **SARFAESI** अधिनियम की धारा ...निम्नांकित प्रभारित/बन्धक सम्पत्ति को उक्त अधिनियम के तहत सम्पत्ति का कब्जा ले लिया गया था और यहां नीचे दर्शायी गयी सम्पत्ति का बिक्री हेतु "जहाँ है जैसा है" बिना किसी दायित्व के जैसा ...त शक्ति का प्रयोग करते हुए ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री करने का निर्णय लिया गया है। सम्पत्ति की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से वैब पोर्टल **(https://www.baanknet.com)** द्वारा करायी

...या	बंधक सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि / बोली गुणांक	संपर्क के लिए शाखा का विवरण	क्यू आर कोड
...972.11 ...2026 तक ...031.72 ...2026 तक	दोनों खातो की संयुक्त सम्पत्तिः- बंधक सम्पत्ति आवासीय मकान जिसका नगर निगम नं. 10/285 जिसका माप 104 वर्गमीटर स्थित मौहल्ला खटीकान, दिल्ली गेट, परगना अलीगढ़।	रू0 36.00 लाख (साथ ही लागू कर)	रू0 3,60,000/- बोली गुणांक 25,000/-	इंडियन ओवरसीज बैंक, 13/6, निकट नॉवेल्टी टॉकीज, जीटी रोड, अलीगढ़ (उ0प्र0)- 202001, श्री रविन्द्र वर्मा, मो0- 9871760040	
...824.50 ...02.2026	बंधक आवासीय सम्पत्ति की सीमा तक 167.21 वर्गमीटर स्थित खसरा नं. 856 का भाग ग्राम सुर्खा छावनी बाहर चुंगी (हार्टमैन क्रॉसिग से कुदेसिया क्रांसिंग का पूर्वी भाग) बरेली।	रू0 32.53 लाख (साथ ही लागू कर)	रू0 3,25,300/- बोली गुणांक 25,000/-	आईओबी बरेली, 116ए, सिविल लाईन बरेली, श्री वैभव गुप्ता, मो0 9792727222	

[illegible]ास में मिली सफलता

[illegible]ाईएएस

[illegible]ाने के बाद विवेक को मिठाई खिलाते परिजन।

बोर्ड परीक्षा देकर लौट रहे छात्र की दो अंगुलियां तोड़ी

बेहट, संवाददाता। यूपी बोर्ड की परीक्षा देकर घर लौट रहे 12वीं के छात्र पर रास्ते में हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर चार नामजद समेत दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के ग्राम कुरड़ीखेड़ा निवासी नादिर जाकिर पुत्र मेहंदी हसन ने थाना बेहट में दी तहरीर में बताया कि उसका पुत्र शाहिद कक्षा 12 का छात्र है और उसका यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र किसान इंटर कॉलेज, फतेहपुर कला जसमोर में पड़ा था। आरोप है कि 27 फरवरी को पेपर खत्म होने के बाद शाहिद शाम करीब साढ़े पांच बजे घर लौट रहा था। तहरीर के अनुसार गांव धोलाकुंआ के पास मेहताब पुत्र मेहंदी हसन और समीर पुत्र अफजाल निवासी चोहड़पुर कला, शाहिर पुत्र मुस्तकीम निवासी मांझीपुर तथा अरुण पुत्र नामालूम निवासी ढाबा, थाना बेहट, अपने दो अज्ञात साथियों के साथ मिले। आरोप है कि सभी ने गाली-गलौच करते हुए शाहिद को घेर लिया और जान से मारने की नीयत से लोहे की रॉड व डंडों से मारपीट की। जिससे उसकी दो अंगुलियां टूट गई।

पूर्व मैनेजर समेत छह पर केस

सहारनपुर/सितारगंज, हिटी। सितारगंज में फर्जी चेक से युवती के बैंक खाते से 55 लाख रुपये [illegible] की कोशिश का मामला सामने आया है। युवती ने पूर्व मैनेजर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश [illegible] पुलिस ने पूर्व मैनेजर समेत छह [illegible] मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

अरावली एनक्लेव, देहरादून निवासी राधा ने बताया कुंवरपुर सिसैया, सितारगंज में राधे इंफ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उनका स्टोन क्रशर है। इसके संचालन को उन्होंने सहारनपुर निवासी ममेरे भाई सुधीर को मैनेजर नियुक्त किया। 25 सितंबर 2022 को सुधीर को बर्खास्त कर दिया था। [illegible] हस्ताक्षरित [illegible] मिल[illegible] आरोप है कि [illegible] मैनेजर ने जीजा [illegible] के नाम 15 [illegible] जीजा के पिता के नाम 15 लाख [illegible] रेणु के नाम 10 लाख और जीजा की मां विद्या[illegible] के नाम 5 लाख रुपये [illegible] फर्जी चेक काट [illegible]

बोर्ड परीक्षा में 55 रहे अनुपस्थित

सहारनपुर। यूपी बोर्ड परीक्षा में शनिवार को जिले में हाईस्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शांतिपूर्ण हुईं। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ अरविंद पाठक ने बताया [illegible]5 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। पंहली पाली में हाईस्कूल वाणिज्य परीक्षा में पंजीकृत 928 परीक्षार्थियों में से 885 शामिल हुए। इंटरमीडिएट में 279 में से 267 उपस्थित रहे, 12 अनुपस्थित रहे। कुल 55 [illegible] अनुपस्थित रहे।

हिन्दुस्तान
8-3-2026

कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

मौहल्ला यादवपुरी, निकट गन्ना भवन, हकीकत नगर, सहारनपुर।
दूरभाष 0132–2720990, ई–मेल, sda12@rediffmail.com

पत्रांक 3284/स०वि० प्रा०/2025–26 दिनांक 07 मार्च, 2026

–: सार्वजनिक सूचना :–

उत्तर प्रदेश योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–11 के अन्तर्गत जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित 31 नये ग्रामों की जी०आई०एस० आधारित सहारनपुर महायोजना–2031 (भाग–ख) को प्राधिकरण की 81वीं बोर्ड बैठक दिनांक 19.01.2026 के एजेण्डा आईटम संख्या 81/7 पर अनुमोदनोपरान्त जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु दिनांक 09.03.2026 से दिनांक 08.04.2026 तक 1–कार्यालय आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर, 2–कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर, 3–कार्यालय जिलाधिकारी, सहारनपुर 4–कार्यालय नगर निगम, सहारनपुर, 5–कार्यालय उपजिलाधिकारी (सदर), सहारनपुर, 6–कार्यालय उपजिलाधिकारी (नकुड), सहारनपुर, 7–कार्यालय उपजिलाधिकारी (रामपुर), सहारनपुर के कार्यालयों में तथा सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर की वेबसाईट www.sdasaharanpur.org पर मानचित्र एवं प्रतिवेदन उपलब्ध है।
समस्त जनसामान्य/मा० जनप्रतिनिधिगण/शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग/स्थानीय निकाय व अन्य समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्धारित अवधि में सहारनपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित 31 नये ग्रामों की जी०आई०एस० आधारित सहारनपुर महायोजना–2031 (भाग–ख) के प्रारूप का अवलोकन कर अपने बहुमूल्य सुझाव/आपत्ति को उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को सम्बोधित करते हुए (चार प्रतियों में) सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर में दिनांक 09.03.2026 से 08.04.2026 तक की अवधि में किसी भी कार्य दिवस में अथवा प्राधिकरण की ई–मेल sda12@rediffmail.com पर उपलब्ध करा सकते है। निर्धारित अवधि के पश्चात किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा । निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/सुझावों की सुनवाई शासन द्वारा गठित समिति के द्वारा की जायेगी। इसके उपरान्त सहारनपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित 31 नये ग्रामों की जी०आई०एस० आधारित सहारनपुर महायोजना–2031 (भाग–ख) के प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

सचिव
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

उपाध्यक्ष
सहारनपुर विकास प्राधिकरण,
सहारनपुर।

शहर 30s

नौकरी दिलाने के नाम पर 66 हजार ठगे

नागल। थाना कुतुबशेर के महमूदपुर निवासी सचिन व मवी खुर्द निवासी राहुल का कहना है कि करीब एक वर्ष पूर्व नागल के बढेडी कोली निवासी एक व्यक्ति से सम्पर्क हुआ था, उसने अपना एंटी करप्शन का फर्जी आई कार्ड दिखाया तथा विश्वास में लेते हुए खाद्य रसद विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर दो लाख रुपए की मांग की थी। जिस पर फोन पे के माध्यम से 66 हजार रुपए दे दिए गए थे तथा शेष रकम नौकरी लगने के बाद देना तय हुआ

मुकद्दस माह रमजान में बांटे राशन के पैकेट

देवबंद। फिदा–ए–मिल्लत प्रोग्रेसिव एंड एजुकेशनल सोसाइटी ने मुकद्दस माह रमजान में जरूरतमंदों को राशन पैकेट वितरण किया। दारुल सालिहात में संस्था महासचिव डा. यूनुस सिद्दीकी ने कहा रमजान में कोई परिवार ऐसा न बचे जिसको खाने पीने के सामान की परेशानी हो। डा. ताहिर सिद्दीकी ने कहा सोसाइटी निस्वार्थ भाव से सेवा में लगी है। डा. तैयब अंजुम, दानिश अल्वी, शमा ताहिर, ज़ैनब, कौसर आलम, आबिद, अब्दुल कादिर, फैसल आदि रहे।

कृषि भूमि दिखा कराया बैनामा 3.32 करोड़ का लगा अर्थदंड

सहारनपुर। डीएम मनीष बंसल ने स्टांप चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए 27 प्रकरणों में 3.32 करोड़ का जुर्माना लगाया है। मामला अकृषक भूमि को कृषि की जमीन दर्शाकर बैनामा कराए जाने का है।

ग्राम गंदवेड़ा, परगना हरौड़ा तहसील सहारनपुर से जुड़े सात मामलों में पक्षकारों ने संपत्ति को कृषि भूमि दर्शाकर बैनामा कराया था, जांच में यह भूमि सेगमेंट पर स्थित अकृषिक भूमि पाई गई। ग्राम शेखूपुर उर्फ छाछरेकी के तीन मामलों में मौके पर कृषि कार्य नहीं पाया गया, बल्कि प्लाटिंग की गतिविधियां चल रही थीं। विलेख पत्र में इसे कृषि भूमि दर्शाया था। खुशहालीपुर, परगना मुजफ्फराबाद तहसील बेहट के दो मामलों में संपत्ति का मूल्यांकन सर्किल रेट से कम दर पर किया गया था। जांच में खसरा संख्या 459/2 आबादी क्षेत्र में पाया गया, जबकि दस्तावेजों में इसे कृषि भूमि बताया गया था। जन्धेड़ी से जुड़े दो मामलों में भूमि को कृषि भूमि दर्शाया गया, जबकि यह सहारनपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप स्थित पाई गई। देवबंद बैरून हदूद के मामले में भूमि को कृषि दर्शाकर पंजीकरण कराया गया, जबकि मौके पर अकृषिक भूमि पाई गई। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने कहा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

MEN'S DAY

मीडिया मार्केटिंग इनीशिएटिव